पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0) मु0-33/आयरन एण्ड स्टील -चीनी निर्माता/06-07/ 3189/वाणिज्य कर

कम्प्यूटर परि० सं० 0708।।।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 07 जनवरी 2008

:- आदेश -:

आयरन एवं स्टील व चीनी निर्माता इकाईयों द्वारा किये जा रहे करापवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से मुख्यालय के आदेश सं0- वि0अनु0शा0-अनुभाग मु0-33 आयरन एवं स्टील -चीनी निर्माता /06-07/ 5482/ व्यापार कर दिनॉक 31-03-07 एवं आदेश सं0 299 दिनॉक 23-04-07 द्वारा प्रत्येक बिक्री की सूचना ई- मेल के माध्यम से अपने जोन के एडीशनल कमिश्नर को दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी संदर्भ में स्टाक ट्रान्सफर, ब्रान्च हेतु ट्रान्सफर तथा कन्साइन्मेन्ट सेल को भी उक्त व्यवस्था में शामिल करने के निमित्त मुख्यालय के आदेश सं0 811 दिनॉक 13-06-07 एवं ट्रेडर्स व्यापारियों, जिनका वित्तीय वर्ष 06-07 में सकल टर्नओवर रु0 10.00 करोड़ या उससे अधिक रहा है,को भी इस व्यवस्था में सम्मिलित करने हेतु आदेश सं0 880 दिनॉक 19-06-07 जारी किया गया था।

2- अब चूँकि दिनॉक 01-01-08 से उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम- 2007 लागू हो गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निर्माता /ट्रेडर को प्रत्येक संव्यवहार के लिये टैक्स इन्वायस/ सेल इन्वायस जारी किया जाना अनिवार्य है। अत:आयरन एण्ड स्टील के निर्माता /ट्रेडर्स के संदर्भ में उक्त पत्रों द्वारा जारी आदेशों को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3- चीनी निर्माताओं के संबंध में ई- मेल से सूचना दिये जाने की पूर्व व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

4.1.08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनॉक -उक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, लखनऊ।

3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त आदेशों से अपने अधिक्षेत्र में स्थित समस्त आयरन एण्ड स्टील इकाईयों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4- समस्त अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय , लखनऊ।

5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश।

6- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/असि0कमि0 खण्ड कार्यालय , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

7- उत्तर प्रदेश स्थित समस्त आयरन एण्ड स्टील इकाईयों को सूचनार्थ द्वारा एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर।

(के0पी0 पाण्डेय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।